

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. 0141-2228066, फैक्स नं. 0141-2228065

ई-मेल : rmisc@nic.in

क्रमांक एफ-6(आरएमएससी/लॉजिस्टिक/2012/1564

दिनांक 21.09.2012

कार्यालय आदेश

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के ध्यान में लाया गया है कि कुछ अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सकों के द्वारा लिखे गये इंजेक्शन ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पर दिये जा रहे हैं। इससे इनके दुरुपयोग की सम्भावना रहती है, साथ ही उचित तापमान पर न रखने के कारण इंजेक्शन खराब भी हो सकते हैं।

अतः पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी रोगी को ओपीडी डीडीसी से इंजेक्शन चिकित्सालय के बाहर उपभोग करने हेतु नहीं दिया जाये। केवल इन्सुलिन इंजेक्शन ही ओपीडी डीडीसी से दिया जाये। तथा शेष इन्जेक्शन्स, इन्जेक्शन रूम, ऑपरेशन थियटर, प्रसव कक्ष, वार्ड तथा इमरजेन्सी रूम को सब-स्टोर से सीधे ही जारी किये जाये तथा सम्बन्धित नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगाया जाये व इनका रिकार्ड भी उन्हीं स्थानों पर संधारित किया जावे।

Costly Injection के उपयोग का विशेष ध्यान रखा जाये व मरीज को (Dispense) वितरित न किया जाकर सीधे ही लगाया (Administer) जाये।

L
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य मेडिकल कॉलेज राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक मेडिकल कॉलेज राजस्थान जयपुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान जयपुर। All JPCs
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान जयपुर।
9. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान जयपुर।
10. सर्वर रूम को ई-मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक-लॉजिस्टिक
आरएमएससी